कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

(मानव संसाधन विभाग)

सूरत

एचपी/19/स्थापना/आ.घो./2017 दिनांक : 01.06.2017

परिपत्र नं – 1092

विषय : चिकित्सा सहायता के संबन्ध में सामान्य रूप से लागू होने वाले नियम।

कृभको कर्मचारी सेवा नियमावली की धारा 24.0.0 के अनुसार चिकित्सा सहायता सुविधा की स्वीकार्यता के प्रयोजन के लिए 'परिवार' से तात्पर्य कर्मचारी की पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) और कर्मचारी के उन बच्चों और/या माता-पिता से है, जो उस कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों। इसी कड़ी में सेवा नियमावली की धारा 24.1.3 और 24.1.4 के अनुसार किसी भी कर्मचारी की पुत्री / उसके पुत्र को केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही आश्रित माना जाएगा:-

1) वह अविवाहित हो।
2) उसकी आयु 28 वर्ष से अधिक न हो।
3) उसकी आय रूपये 1500/- प्रतिमाह से कम हो।
4) वह किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न हो, और
5) वह किसी अन्य स्त्रोत से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की हकदार न हो।

यह भी प्रावधान है कि यदि पुत्री/पुत्र स्थायी रूप से विकलांग है तो प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

कृभको कर्मचारी सेवा नियमावली की धारा 24.8.0 के अनुसार कर्मचारी द्वारा पूर्व में घोषित किये गये आश्रितों की सूची में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तत्काल प्रबंधवर्ग को देनी आवश्यक है। इस बारे में समय-समय पर अपना रिकार्ड अपडेड कराने के लिए सभी को सूचित भी किया जाता रहा है।

सभी कर्मचारियों से पुनः अनुरोध है कि वे पूर्व में घोषित **अपने आश्रित सदस्यों (पुत्री/पुत्र)** की सूची में हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना **CIB \ Forms & Formats \ HR \ Personnel \ Dependant-Addition-Deletion.pdf** के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप में घटना की तिथि से 30 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को देने का कष्ट करें ताकि आपका रिकार्ड संशोधित (अपडेट) किया जा सके। अपेक्षित सूचना समयानुसार नहीं मिलने पर संबन्धित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

एन. के. साहू

(एन. के. साहू)

महाप्रबंधक (एच.आर.)

वितरण :-

सभी कर्मचारी द्वारा लोटस नोटस

सभी सूचनापट्ट

महासचिव – केओऐ/केकेएस

परिचालन निदेशक के नि.स.